

समाज कल्याण विभाग  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
जीएलएनएस कॉम्पलेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002

(प्रश्न शाखा)

फा.स.59.(64)/स.क.वि./पी.आर.ओ./वि.स.प्र./2021-22/22511

दिनांक: 25 MAR 2024

सेवा में

✓ श्रीमान उप-सचिव (प्रश्न शाखा)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

दिल्ली-110054

विषय- अतारांकित प्रश्न संख्या- 181 दिनांक 29 मार्च, 2022

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में दिल्ली विधान सभा से प्राप्त ई-मेल दिनांक 21.03.2022 जो कि इस विभाग से संबंधित है।

अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत उत्तर प्रेषित किए जाते हैं।

भवदीय

नीलम वैकराचलम

उप-निदेशक (लिटीगेशन)

नोडल ऑफिसर(प्रश्न शाखा)

संलग्न-उपरोक्तानुसार

फा.स.59.(64)/स.क.वि./पी.आर.ओ./वि.स.प्र./2021-22

दिनांक:

1.निदेशक, सूचना एवं प्रसार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-1100054.

2.सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली-110002

नीलम वैकराचलम

उप-निदेशक (लिटीगेशन)

नोडल ऑफिसर(प्रश्न शाखा)

समाज कल्याण विभाग  
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर  
दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002


अतारांकित प्रश्न संख्या - 181

दिनांक - 29/03/2022

प्रश्नकर्ता - श्री रामवीर सिंह बिधुडी

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है, कि वृद्धों तथा बेसहारा एवं विधवा महिलाओं के नाम पर बोगस एवं अपात्र लोगो को पेंशन दिए जाने के मामले में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा एक गिरोह पकड़ा गया था,	जी नहीं। वृद्धों के नाम पर बोगस एवं अपात्र लोगो को पेंशन दिए जाने का कोई मामला नहीं पाया गया है।  महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विधवा महिलाओं के नाम पर बोगस एवं अपात्र लोगो को पेंशन दिए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस की पुरानी कोतवाली दरियरगंज की Special Investigation unit, Delhi Police द्वारा गिरोह पकड़ा गया था।
(ख)	यदि हाँ, तो क्या इस मामले में कोई एफ.आई. आर. भी दर्ज हुई थी,	जी नहीं।  महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस संबंध में Special Investigation unit, Delhi Police द्वारा एफ0आई0आर0 करके उचित कार्यवाही की जा रही है तथा विभाग द्वारा पूर्ण सहयोग किया जा रहा है।
(ग)	इस मामले में कितने लोगो को पेंशन जारी कर दी गई थी, और	महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभिलेखानुसार इस मामले में 117 अपात्र महिलाओं की विधवा पेंशन जारी कर दी गई थी।
(घ)	जिन बोगस एवं अपात्र लोगो को यह पेंशन दी गई थी क्या उनकी पेंशन रद्द कर दी गई थी पूर्ण विवरण दें?	महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 117 अपात्र महिलाओं की विधवा पेंशन जिला कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर रोक दी गई थी।

  
Dy. Director (FAS)  
Dept of Social Welfare  
Govt. of N.C.T. of Delhi  
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate  
New Delhi-110002